भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 845

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल शॉप में सीसीटीवी कैमरा

845. श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में सभी मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से 09.02.2021 को "बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और दुर्व्यापार" के संबंध में एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है और उसे शुरू किया है।

संयुक्त कार्य योजना के तहत, बच्चों को मनोविकार नाशी पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए फार्मेसी/केमिस्ट शॉप पर अनुसूची "एच", "एच1" और "एक्स" दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए धारा 133, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के तहत आदेश जारी करने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 10.10.2022 को एडवाइजरी जारी की गई है। जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2024 तक ऐसी दवाएं बेचने वाली मेडिकल/फार्मेसी दुकानों में कुल 3,69,727 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

******